अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

225 गणपतलाल V/s रामस्वरूप

155/2024

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

श्री दिलीप सिंह श्री रतनरवान . । GA2

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

गणपत लाल बनाम रामस्वरूप व अन्य (2024 / 155)

15-10-24

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांटस एवं अभिभाषक रेसपोडेन्ट संख्या 01 एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित तथा अपीलांट संख्या 01 गणपतलाल, 02 विष्णुदत्त व रेसपोडेन्ट संख्या 01 रामस्वरूप भी स्वयं उपस्थित हुए। अभिभाषक अपीलांटस ने फर्द दस्तावेज पेश किया, जिसमें दिनांक 14.10.2024 को पक्षकारो के मध्य हुए इकरारनामा बाबत् राजीनामा के प्रति पेश की।

अभिभाषक अपीलांटस, अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने बताया कि हम दोनो पक्षकारों के मध्य रास्ता सम्बन्धी यदि विवाद हो गया था किन्तु गौतबीर व समाज के व्यक्तियों की समझाईस से आपस में इकरारनामा बाबत् राजीनामा हो गया है, इकरारनामा बावत् राजीनामा के अनुसार द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रथम पक्षकार को अपनी उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 3493 में से 105 फिट लम्बा व 12 फिट चौड़ा यानि कुल क्षेत्रफल 1260 भूमि वाकै ग्राम जालिया द्वितीय तहसील विजयनगर द्वारा अपील भूमि वाकै ग्राम जालिया द्वितीय तहसील विजयनगर जिला अजमेर में स्थित खसरा नम्बर 3496 में से कुल क्षेत्रफल 1260 भूमि का कब्जा सम्भलाया जायेगा, जो खसरा नम्बर 3493 से लगती हुई होगी, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के आदेश को निरस्त किया जाता है तो उसमें दोनो पक्षकारो को कोई उज्र आपत्ति नहीं है और ना ही भविष्य में होगी। उभयपक्ष फरिकेन ने बताया कि अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के आदेश दिनांक 20.06.2024 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांटस ने अपीलांटस की पहचान की तथा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 रामस्वरूप की पहचान की।

उभयपक्ष अभिभाषक एवं फरिकेन के द्वारा की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत इकरारनामा बावत् राजीनामा की प्रति तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन विचाराधीन अपील रास्ते के विवाद के विरुद्ध प्रस्तुत है। उभयपक्षकारान के कथनानुसार इकरारनामा बावत् राजीनामा हुआ है एवं उभयपक्ष प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निस्तारित करवाना चाहते है जिसमें न्यायालय हाजा को आपत्ति नहीं है। माननीय उच्चतर न्यायालयों एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों व सर्कुलर में प्रतिपादित किया गया है कि यदि पक्षकारान के बीच लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो जाता है या होने की संभावना हो तो उसका शीघ्र निस्तारण कर देना चाहिए। उपरोक्त परिपेक्ष्य के क्रम में एवं उभयपक्षकारान की आपसी सहमति से अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

अतः अपील अपीलांटस उभयपक्षकारान की सहमति से आंशिक स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 108/2020 (2020/00237) में पारित आदेश दिनांक 20.06.2024 को निरस्त किया जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.11.2024 को उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

रामस्वरूप 15/10/2024

15.10.2024

15.10.24

15-10-2024

Scanned with CamScanner